कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

क्रमांक : 367 दिनांक : 03/11/26

कार्य–आदेश (Work-Order)

भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र के अन्तर्गत न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भीलवाड़ा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करेड़ा, जिला भीलवाड़ा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा के लिये एयर कंडीशनर आपूर्ति हेतु इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या 08 दिनांक 06.10.2026 की अनुपालना में प्राप्त निविदाओं व फर्मों से वार्ता उपरांत क्रय समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, भीलवाड़ा की अभिशंषा के आधार पर **फर्म बिरला इंटरनेशनल, भीलवाड़ा** को निम्नलिखित एयर कंडीशनर्स की सप्लाई इंस्टॉलेशन सहित किये जाने हेतु निम्नानुसार दरें स्वीकृत की जाती हैं–

क्र. सं.	न्यायालय का नाम जहां सप्लाई की जानी है	तकनीकी विवरण	मेक	संख्या	राशि प्रति नग (रू. में)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
01.	अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भीलवाड़ा	1.5 टन स्पिलिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर (स्टेबलाईजर सहित)	गोदरेज	01	40,501/–
02.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करेड़ा, जिला भीलवाड़ा	2 टन स्पिलिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर (स्टेबलाईजर सहित)	गोदरेज	01	49,501/–
		1.5 टन स्पिलिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर (स्टेबलाईजर सहित)		01	40,501/–
03.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा	1.5 टन स्पिलिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर (स्टेबलाईजर सहित)	गोदरेज	01	40,501/–
04.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा	2 टन स्पिलिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर (स्टेबलाईजर सहित)	गोदरेज	01	49,501/–
		1.5 टन स्पिलिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर (स्टेबलाईजर सहित)		01	40,501/–

शर्तें :–

1. उपरोक्त दरें समस्त करों सहित अंतिम एवं स्वीकृत हैं।
2. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री निविदा में वर्णित तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप होगी।
3. समस्त सामग्री कार्यादेश जारी होने की तिथि से 20 कार्य दिवस के भीतर आपूर्ति की जाएगी।

4. भुगतान सामग्री प्राप्ति, परीक्षण एवं संतोषजनक पाए जाने के उपरांत नियमानुसार किया जाएगा।
5. यदि सामग्री तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो फर्म उसे अपने व्यय पर प्रतिस्थापित करने के लिए बाध्य होगी।
6. निविदा दस्तावेज एवं वार्ता के दौरान स्वीकृत शर्तें इस कार्यादेश का अभिन्न अंग होंगी।
7. कार्य–आदेश (Work Order) में अंकित सामग्री की सप्लाई उपरोक्त सारणी के कॉलम संख्या (02) में अंकित न्यायालय परिसर में की जानी है जिसके बिलों का भुगतान संबंधित न्यायालयों द्वारा किया जावेगा। अतः बिल उक्तानुसार बनाया जाना सुनिश्चित करावें।
8. संबंधित फर्म बिल में जी.एस.टी. की पृथक से अंकित/उल्लेखित करेगी।
9. सप्लाई की जाने वाली सामग्री निविदा/कोटेशन में उल्लेखित तकनीकी विनिर्देशों (Technical Specifications) एवं प्रस्तुत सैम्पल के अनुरूप नहीं पाए जाने पर कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार इस कार्यालय को सुरक्षित रहेगा।
10. Performance Security एवं अनुबंध प्राप्त होने के पश्चात् ही यह कार्यादेश प्रभावी माना जाएगा।

3/11/24

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा

क्रमांक : 5611 to 5615 दिनांक : 3/11/26

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित है–

1. अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भीलवाड़ा
2. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करेड़ा, जिला भीलवाड़ा
3. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा
5. सिस्टम ऑफिसर, SPPP पोर्टल पर अपलोड करने हेतु
6. कार्यालय प्रति

3/11/26

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा